IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

डॉ. भीमराव अंबेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान

(Dr. Bhimrao Ambedkar's Contribution in Building Modern India)

Author - Banshidhar, Assistant Professor- Political Science, Government College, Nahargarh, Baran, Rajasthan.

Abstract : डॉ. भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और भारत के संविधान निर्माता थे। उनका योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में बहुआयामी रहा है। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित समाज की नींव रखी। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उन्होंने हिंदू कोड बिल, श्रम सुधार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके प्रयासों से भारत में आरक्षण प्रणाली लागू हुई, जिससे वंचित वर्गों को अवसर मिले। आर्थिक और औद्योगिक विकास पर उनके विचारों ने भारत की नीतियों को दिशा दी। उनका सपना एक ऐसे राष्ट्र का था जो समावेशी, लोकतांत्रिक और न्यायसंगत हो। डॉ. अंबेडकर का योगदान केवल कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और हाशिए पर खड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार और प्रयास आज भी भारतीय लोकतंत्र और समाज के मूल आधार हैं।

Keywords : डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, दलित उत्थान, आरक्षण, लोकतंत्र, आर्थिक सुधार, शिक्षा, श्रम सुधार, औद्योगीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, मानवाधिकार।

Article : डॉ. भीमराव अंबेडकर (1891–1956) आधुनिक भारत के निर्माण में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे। वे एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारतीय समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर पुनर्गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान को मुख्य रूप से भारतीय संविधान निर्माण, सामाजिक सुधार और आर्थिक नीतियों के संदर्भ में देखा जाता है।

संविधान निर्माण में योगदान – डॉ. अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान निर्माण में उनका योगदान इस प्रकार है:

संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष – 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने देश के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार करने का कार्य किया। डॉ. अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति (क्तंजिपदह ब्वउउपजजमम) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित किया।

मौलिक अधिकारों का समावेश – डॉ. अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया, जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। उन्होंने विशेष रूप से अस्पृश्यता उन्मूलन

(अनुच्छेद 17), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22) और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30) को महत्व दिया।

सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति – डॉ. अंबेडकर का मानना था कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति का सुझाव दिया, जिससे इन वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष अवसर मिले।

राज्य के नीति निदेशक तत्व – डॉ. अंबेडकर ने संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया, जो सरकार को सामाजिक–आर्थिक न्याय स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनमें शिक्षा का अधिकार, समान वेतन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, अल्पसंख्यकों के अधिकार और समाजवाद की दिशा में प्रयास शामिल हैं।

संघीय ढांचे और कानून व्यवस्था की स्थापना – डॉ. अंबेडकर ने भारत के लिए एक संघीय शासन प्रणाली का सुझाव दिया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहे। उन्होंने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि संविधान की रक्षा की जा सके और विधायिका व कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जा सके।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा – डॉ. अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार को विशेष रूप से शामिल किया, जिससे महिलाओं को समान अवसर मिले। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिससे महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में अधिकार मिले।

सामाजिक सुधारों में योगदान – डॉ. अंबेडकर न केवल संविधान निर्माता थे, बल्कि उन्होंने सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए।

जाति–व्यवस्था और छुआछूत का विरोध – उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत प्रथा और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया, जिससे दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच प्राप्त हुई।

समान शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष – डॉ. अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों को शिक्षा और सामाजिक अधिकारों के लिए प्रेरित करती थी।

बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन – 1956 में, उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिससे भारतीय समाज में एक नए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। उन्होंने बौद्ध धर्म को जातिवाद और भेदभाव से मुक्त धर्म के रूप में प्रस्तुत किया।

आर्थिक नीतियों और श्रमिक सुधारों में योगदान – डॉ. अंबेडकर एक प्रख्यात अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत की आर्थिक नीतियों और श्रमिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ. अंबेडकर की आर्थिक नीतियों और सिफारिशों के आधार पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उन्होंने भारत के औद्योगीकरण पर बल दिया और बड़े जल संसाधन परियोजनाओं का समर्थन किया। उनका मानना था कि जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना भारत की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए काम के घंटे तय करने (8 घंटे का कार्य दिवस), मजदूरी में सुधार और सामाजिक सुरक्षा की वकालत की। उन्होंने मजदूर संघों को कानूनी संरक्षण दिलाने में भी मदद की। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक भारत के निर्माण में बहुआयामी योगदान दिया। उन्होंने न केवल संविधान का निर्माण किया, बल्कि सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों और श्रमिक अधिकारों के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। उन्होंने भारत को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान आज भी भारत के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रेरणास्त्रोत बना हुआ है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान (सामाजिक सुधार) – डॉ. भीमराव अंबेडकर (1891–1956) भारतीय समाज के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित करने के लिए अनेक सुधार किए। उनका उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना था, ताकि भारत एक लोकतांत्रिक और समतावादी राष्ट्र बन सके।

जाति–व्यवस्था और छुआछूत का विरोध – डॉ. अंबेडकर ने भारतीय समाज में प्रचलित छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन किया। वे मानते थे कि जाति–प्रथा भारतीय समाज को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी बाधा है और इसे समाप्त किए बिना समाज में समानता नहीं आ सकती।

महाड़ सत्याग्रह (1927) – डॉ. अंबेडकर ने 1927 में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो अस्पृश्यों (दलितों) के पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ा गया एक ऐतिहासिक आंदोलन था। उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ तालाब पर सार्वजनिक रूप से पानी पीकर यह साबित किया कि पानी पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है।

मंदिर प्रवेश आंदोलन – डॉ. अंबेडकर ने दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई।

अस्पृश्यता उन्मूलन – उन्होंने 1932 में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट किया, जिसमें दलितों को चुनावों में पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षण देने की बात तय हुई। इसके साथ ही, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान कराया।

शिक्षा सुधार और समाज में जागरूकता – डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन माना और कहा, "शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो"।

बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924) – उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए काम करती थी।

अछूतों के लिए विद्यालयों की स्थापना – उन्होंने दलितों के लिए कई विद्यालयों की स्थापना की और सरकार से मांग की कि समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा दी जाए।

महिलाओं की शिक्षा पर जोर – डॉ. अंबेडकर मानते थे कि यदि एक महिला शिक्षित होगी, तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।

नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकार – डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

हिंदू कोड बिल, 1951 – उन्होंने हिंदू समाज में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति में अधिकार दिया गया। हालांकि, तत्कालीन सरकार ने इसे पारित नहीं किया, जिससे नाराज होकर डॉ. अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

महिलाओं के लिए समानता के अधिकार – संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने का श्रेय डॉ. अंबेडकर को जाता है। उन्होंने महिलाओं को समान वेतन, मातृत्व अवकाश, शिक्षा और रोजगार के अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सामाजिक और धार्मिक सुधार – डॉ. अंबेडकर ने भारतीय समाज को रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त करने के लिए अनेक प्रयास किए।

जातिप्रथा से मुक्ति के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण – डॉ. अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने जातिप्रथा और छुआछूत से छुटकारा पाने के लिए "नवयान बौद्ध धर्म" की शुरुआत की। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलवाईं, जिनमें हिंदू धर्म की वर्ण–व्यवस्था और मूर्तिपूजा का त्याग करने की बात कही गई।

'अन्निहिलेशन ऑफ कास्ट' (जाति का विनाश, 1936) – डॉ. अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Annihilation of Caste में जातिवाद के अंत की वकालत की और हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव की तीखी आलोचना की।

श्रमिक और आर्थिक सुधार – डॉ. अंबेडकर न केवल एक समाज सुधारक थे, बल्कि उन्होंने भारतीय श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

8 घंटे का कार्य दिवस – उन्होंने भारतीय मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करवाया, जो पहले 12 से 14 घंटे हुआ करता था।

मजदूरों के अधिकारों की रक्षा – उन्होंने मजदूरी सुरक्षा, काम करने की अच्छी स्थिति और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए संघर्ष किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक भारत में सामाजिक सुधारों की नींव रखी। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय समाज को एक समान, स्वतंत्र और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में जागरूकता और समानता की भावना विकसित हुई, जिससे आज भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से संरक्षित राष्ट्र बन पाया है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में राजनीतिक योगदान

डॉ. भीमराव अंबेडकर (1891–1956) आधुनिक भारत के निर्माण में न केवल एक समाज सुधारक और संविधान निर्माता के रूप में बल्कि एक प्रभावशाली राजनीतिक विचारक और नेता के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय राजनीति को सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित करने का प्रयास किया। उनका राजनीतिक योगदान भारतीय संविधान निर्माण, दलितों और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक अधिकार, लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना और सामाजिक न्याय की दिशा में अत्यधिक प्रभावशाली रहा है।

भारतीय संविधान निर्माण में भूमिका – डॉ. अंबेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की, जो भारत को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना सके। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया, जिनमें समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा शामिल हैं। उन्होंने दलितों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक और शैक्षिक आरक्षण की नीति का सुझाव दिया, ताकि उन्हें समान अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का उचित बंटवारा किया गया।

दलितों और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा – डॉ. अंबेडकर ने भारतीय राजनीति में दलितों और पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1932 में, डॉ. अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिससे वे अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सकें। महात्मा गांधी के विरोध के कारण, डॉ. अंबेडकर ने पूना समझौता किया, जिसके तहत दलितों को आरक्षित सीटें तो दी गईं, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हटा दी गई। उन्होंने दलितों को एकजुट करने और उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी (1936) और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन (1942) जैसी राजनीतिक पार्टियों का गठन किया।

निष्कर्ष : डॉ. भीमराव अंबेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक था। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता, छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए एक समतामूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और न्यायसंगत शासन प्रणाली की नींव रखी। उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सुधारों में योगदान भी अतुलनीय है, जिससे हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उनका विचारधारा और नीतियां आज भी सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की दिशा में प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। इस प्रकार, डॉ. अंबेडकर केवल एक महान नेता ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के सामाजिक और संवैधानिक आधार के प्रमुख शिल्पकार भी थे। उनका योगदान न केवल उनके समय में बल्कि भविष्य के भारत के विकास में भी अत्यंत प्रासंगिक रहेगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक भारत की आर्थिक नीतियों, बैंकिंग प्रणाली, जल संसाधन प्रबंधन, श्रमिक सुधार, औद्योगीकरण और सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी आर्थिक सोच ने भारत को एक समतामूलक, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने में मदद की। उनका मानना था कि "राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक समानता अधूरी है", और इसी सिद्धांत पर उन्होंने

अपना पूरा जीवन समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार और प्रयास आज भी भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।

References :

1. डॉ. भीमराव अंबेडकरः एक जीवनी – लेखकः धनंजय कीर (प्रकाशकः पॉप्युलर प्रकाशन)
2. डॉ. अंबेडकरः जीवन और दर्शन – लेखकः सी. बी. खैरमोड़े
3. आधुनिक भारत के निर्माताः डॉ. बी. आर. अंबेडकर – लेखकः अरुण शौरी
4. डॉ. अंबेडकर एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन – लेखकः सुधा
5. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरः राइटिंग्स एंड स्पीचेस दृ शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित